



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



बड़े परिवार - बड़ा परिवार - बड़ा भविष्य
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक- 1158 /12-1 देहरादून : दिनांक: 15 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाङ्गूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं. 8बी०/यू.सी.पी./०६/६८/२०२०/एफ.सी./२२९८ दिनांक १७.०२.२०२१

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1395/12-1(2) दिनांक 02.12.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	विशयांकित प्रस्ताव के अन्तर्गत 1.00 हे० से कम वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1260 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि /६। त्जम वित 1७26 १ तम (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारित हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।	(क) खण्ड द्वारा 1.26 हे० क्षेत्रफल में वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू० 5,65,477.00 (पांच लाख पैसेठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-1)
3	(ख) राज्य सरकार पौधा रोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं ब्वतकपदंजमे अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय प्रस्तुत करेगी।	(ख)-पौधारोपण हेतु रानीखेत वन क्षेत्र के अन्तर्गत चिनियानौला कम्पार्ट 06 चयनित किया गया है, जिससे सम्बन्धित विवरण संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और स्तभन की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और स्तभन की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन

	सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	और, स्तंभन की लागत प्रयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा।
5	शर्त संख्या-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- 5- (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुद्ध संख्या 202/1995 में प। नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।	सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन कैम्पा कोष में जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-2)
	5-(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया गया है।
8	गाईललाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी, कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है।

10	आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाये जायेंगे।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन कराया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजनाओं के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।

	यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।	
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय/ आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://prairivash.nic.in) पर अपलोड कर की जायेगी।	शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://prairivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी/ वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रकरण को संस्सुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1158 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रति हलान

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1395/12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक 02/12/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना घन्यारी मोटर मार्ग का घौलाङ्गूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 15092/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक-8बी०/यू०सी०पी०/०६/६८/२०२०/एफ०सी० 2298, दिनांक-17.02.2021

महोदय,

उक्त विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रमाणीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 3262/12-1-2, दिनांक 22.11.2025 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय



(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

26 NOV 2025

2025

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3262 / 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 22/11/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाङ्गूत तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online no. FP/UK/ROAD/15092/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं. 8बी०/यू.सी.पी./०६/६८/२०२०/एफ.सी./२२९८ दिनांक 17.02.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 2485/18सी, दिनांक 22.11.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-


क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	विशयांकित प्रस्ताव के अन्तर्गत 1.00 हे० से कम वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है, जिस हेतु गैर वन भूमि वन विभाग को नहीं सौंपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1260 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि /CA Rate for 1.26 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।	(क) खण्ड द्वारा 1.26 हे० क्षेत्रफल में वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू० 565477.00 (पांच लाख पैसेट हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैफ्ट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि एकल प्लांटेशन से बचा जा सके।
3	(ख) राज्य सरकार पौधा रोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय प्रस्तुत करेगी।	(ख)- पौधारोपण हेतु रानीखेत वन क्षेत्र के अन्तर्गत चिनियानौला कम्पार्ट 06 चयनित किया गया है, जिससे सम्बन्धित विवरण संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रयोजना	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और स्तंभन की लागत की धनराशि रू० 565477.00 (पांच लाख पैसेट हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन

	प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है।
5	शर्त संख्या-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- 5- (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।	सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-2)
	5-(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (संलग्नक-3)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-4)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया गया है। कैम्पाकोश में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
8	गाईललाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी, कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	मान्य है।

9	एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न।
10	आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाये जायेंगे।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन कराया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजनाओं के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से	मान्य है।

	तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।	
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर की जायेगी।	शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 3262/12-12 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Email ID- cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 2210 / 18/2025
सेवा में,

दिनांक 15/11/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विशय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online no. FP/UK/ROAD/15092 /2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	विषयांकित प्रस्ताव के अन्तर्गत 1.00 हे० से कम वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है, जिस हेतु गैर वन भूमि वन विभाग को नहीं सौंपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1260 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि /CA Rate for 1.26 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।	(क) खण्ड द्वारा 1.26 हे० क्षेत्रफल में वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) ₹ 565477.00 (पाच लाख पैसेठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैपट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि एकल प्लांटेशन से बचा जा सके।
3	(ख) राज्य सरकार पौधा रोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय प्रस्तुत करेगी।	(ख)- पौधारोपण स्थल ग्राम चिलियानोला कम्पार्ट-06 का मानचित्र व Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित कर दिए गए हैं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और स्तंभन की लागत की धनराशि ₹ 565477.00 (पाच लाख पैसेठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैपट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है।
5	शर्त संख्या-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा

5	<p>शर्त संख्या-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</p> <p>5-(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छ: लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।</p>	<p>सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छ: लाख तैत्तीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराशि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-2)</p>
	<p>5-(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>मान्य है। (संलग्नक-3)</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-4)</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।</p>	<p>समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है। कैम्पाकोश में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)</p>
8	<p>गाईललाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।</p>	<p>मान्य है।</p>
9	<p>एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न।</p>
10	<p>आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।</p>	<p>शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।</p>
11	<p>संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाये जायेंगे।</p>	<p>शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।</p>

12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर आर0सी0सी0 मिलर्स द्वारा सीमांकन कराया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजनाओं के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।	मान्य है।

23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर की जायेगी।	शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

Bijendra

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक

तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

खाना नं०=०१-०५६

AGENCY COPY

विद्युत वित्तिय संस्थान लि. उत्तरांचल



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-09-2023

Agency Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115092402
MoEF/SG File No.	BB/UCP/06/68/2020/FC
Location	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1198759.-

Amount in Words: Eleven Lakh Nine Thousand Eight Hundred and Fifty Nine Rupees Only.

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	UBIN0996335
Pay to Account No.	150996115092402
Bank Name & Address.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jaitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through challi, even after 7 working days, then kindly mail a copy of y id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u ubin0903710@unionbankofindia.bank



https://www.unionbankofindia.com/onlineaccount/Nett-ChallanCopy.aspx?pid=ROAD11

510 IN/323349462061

विद्युत वित्तिय संस्थान लि. उत्तरांचल

मिशन रोड, जयिता टोवर, बंगलुरु-560027

15 DEC 2023

संलग्नक-1

परियोजना का नाम:-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०वि०
रानीखेत।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत।

संलग्नक-2

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त धनराशि जमा करेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिशायसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत।

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कुना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलागढ -तिपोला तक निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का प्राक्कलन ।

वृक्षारोपण स्थल का नाम-चिलियानौला कम्पार्ट 06		क्षेत्रफल - 0.63 है०			
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या-693					
क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	साईन स्पेसिफिक प्लान सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल करना,रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण	है०	0.63	1453	915.39
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	है०	0.63	1259	793.17
3	चैनलिंग वायर से घेरबाड कार्य (122 र०मी०)	र०मी०	122	1865.23	227558.06
4	गड्ढा खुदान का कार्य 0.30x0.30x0.45	सं०	693	15.8	10949.4
5	भूमि संरक्षण कार्य 1- कन्टूर फर्रे 450र०मी० (450x27 = 15750) (औसत साईज- 1x0.30x0.30) 2- चाल खाल 2 सं० (2x5000= 13000) (औसत साईज- 4x2.5x1.00) कुल योग- 28750	है०	0.63	28750	18112.5
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है०	0.63	1046	658.98
7	पौधो की कीमत प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं०	139	15.9	2210.1
					261197.60
8	पौधालय विकास भवन अनुरक्षण कार्य- उपयोग का 2%	है०	0.63	2.00%	5223.95
9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	1305.98
10	श्रम कल्याण कार्य- उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	1305.98
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, ईंधन व अन्य परिव्यय- उपयोग का 2प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	5223.95
				योग	274257.46
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान का कार्य।	सं०	693.00	2.48	1718.64
2	कन्टूर फर्रे में बीज बुबाई।	र०मी०	283.00	1.50	424.50
3	पौधो की कीमत द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं०	832	2.70	2246.40
4	पौध का वाहन से ढुलान कार्य 50 कि०मी० दूरी से लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित	सं०	832	12.17	10125.44
5	पौधो का सिर बोझ ढुलान 3 कि०मी०	सं०	832	8.16	6789.12
6	पौधरोपण व थावलाबन्दी	सं०	832	4.44	3694.08
7	निराई गुडाई व मल्लिंग प्रथम बार	सं०	832	1.64	1364.48
8	निराई गुडाई व मल्लिंग द्वितीय बार	सं०	832	1.64	1364.48
9	खाद व दवा का व्यय	सं०	832	0.45	374.40
10	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रख-रखाव पर व्यय 8 महीन अगस्त से मार्च तक	है०	0.63	20568.00	12957.84
11	सुरक्षा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318.00	200.34
12	वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधो में सिगलिंग प्रूनिंग व थावला बंदी कार्य 100 प्रति है०	है०	0.63	26.67	1680.21
13	वृक्षारोपण के क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य।	सं०	283.00	1.50	424.50

				उपयोग	43364.43
14	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	433.64
15	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	216.82
16	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	867.28
17	साईन बोर्ड लगाना (3x4) फीट कम्पलीट कार्य।	है०	0.63	1000	630.00
				द्वितीय वर्ष का कुल योग	45512.17

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है० = 30852.00	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	सं०	139	38.93	5411.27
3	निराई-गुडाई प्रथम बार	सं०	139	1.64	227.96
4	निराई-गुडाई द्वितीय बार	सं०	139	1.64	227.96
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	25504.29
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	255.04
7	श्रम कल्याण कार्य- उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	127.52
8	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	510.08
				योग	26396.93

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

छठा चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

सातवा चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

आठवा चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

नवौं चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

दसवौं चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
---	--	-----	------	----------	----------

2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

एकादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

द्वादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

त्रयोदश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

चतुर्दश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10

3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
योग					20324.39

पञ्चदश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
उपयोग					19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
योग					20324.39

षोडश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
उपयोग					19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
योग					20324.39

सप्तदश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
उपयोग					19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
योग					20324.39

अष्टादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
उपयोग					19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18

5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

नवदश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

विंशति: चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

एकविंशति: चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

द्वाविंशति : चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है० के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है० = 30852	है०	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	है०	0.63	318	200.34
				उपयोग	19637.10
3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीयकरण-उपयोग का 1 प्रतिशत	है०	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य- उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है०	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय- उपयोग का 2 प्रतिशत	है०	0.63	2.00%	392.74
				योग	20324.39

प्राक्कलन सारांश

1	प्रथम वर्ष का व्यय योग	274257.46
2	द्वितीय वर्ष का व्यय योग	45512.17

3	तृतीय वर्ष का व्यय योग	26396.93
4	चतुर्थ वर्ष का व्यय योग	20324.39
5	पंचम वर्ष का व्यय योग	20324.39
6	षष्ठम वर्ष का व्यय योग	20324.39
7	सप्तम वर्ष का व्यय योग	20324.39
8	अष्टम वर्ष का व्यय योग	20324.39
9	नवम वर्ष का व्यय योग	20324.39
10	दशम वर्ष का व्यय योग	20324.39
11	एकादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
12	द्वादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
13	त्रयोदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
14	चतुर्दश वर्ष का व्यय योग	20324.39
15	पचदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
16	षोडश वर्ष का व्यय योग	20324.39
17	सप्तदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
18	अष्टादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
19	नवदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
20	विंशति: वर्ष का व्यय योग	20324.39
21	एकाविंशति: वर्ष का व्यय योग	20324.39
22	द्वाविंशति: वर्ष का व्यय योग	20324.39
	योग	732329.97


 वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
 अल्मोड़ा वन प्रभाग

**Google Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari Motor Road to
Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare**



Dhanya
el.


N

10/07/20

[Signature]


Digital Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari Motor Road to Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare

SOI Toposheet No: 53006 & 53005



Legend

- Propose Land
- Division_Boundary
- Range_Boundary
- Reserve_Forest Boundary




(Handwritten signature)

(Handwritten mark)


Bijendra
EE

(Handwritten signature)

Geo-Reference Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari Motor Road to Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare



Co-ordinates of Proposed CA Land		
ID	Latitude	Longitude
A	29°39'17.83"N	79°24'41.81"E
B	29°39'16.44"N	79°24'38.46"E
C	29°39'14.44"N	79°24'40.18"E
D	29°39'16.22"N	79°24'42.81"E



Scale - 1:2100

Legend

- CA Propose land GPS Point
- CA Propose Land

Handwritten signatures and notes:

- Chand TE* (with arrow pointing right)
- Bijendra EE*
- Handwritten scribble*